SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 PROCEDUR CODE, 1898 CRIMINAL जे.एम.एफ.सी गोहद मिण्ड In the court of

प्रकरण क्मांक

गोडव, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

/2017 Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना क्रिकेट प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused उद्भारता वाला अवहा प्राव्या है अन्तर है। कार है। ही प्रकार के प्राचार के के दिया किए किए किए

The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक कि नध्य स्थान को किएक बजे से के पतों से रूपयों पैसों की हारजीत कामें ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का

दांव लगाकर जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध

किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक-

241/m/oN

ाम श्रेणी म्बाधिका म गोहर, जिला-१नण्ड (म.प्र)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 25-6-27 को घोषित किया गया)

1	अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण
TTT:	शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया
जाना	स्वीकार किया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वी की गई है। असएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वज़िक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत

कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये कि प्रचात किया जाता है।

3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को विवस का साधारण कारावास भुगत

4. प्रकरण में जप्तशुदा किया जाता है।

है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

रथान-भिण्ड

दिनांक- 25-10+17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया .

ashol7